

राजस्थान सरकार  
निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें राज0 जयपुर  
क्रमांक - ई-18/एम/जोन-जोधपुर/2019/  
दिनांक


आदेश

श्री विरेन्द्र नाथ, कनिष्ठ सहायक, उप मुख्य चिकित्सा एव स्वास्थ्य अधिकारी(प.क.), सिरोही को संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सर्विस प्रारम्भिक परीक्षा 2019 प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित होने की स्वीकृति निम्न शर्तों के आधार पर प्रदान की जाती है -

शर्त:-

1. राज्य सेवा में कोई व्यवधान ना हो।
2. राज्य सरकार/विभाग द्वारा कोई वित्तीय भार वहन नहीं किया जायेगा।
3. आपका केवल परीक्षा दिवस का ही अवकाश स्वीकृत किया जायेगा।
4. परीक्षा की तैयारी हेतु इन्हे कोई अवकाश देय नहीं होगा।
5. परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरान्त किसी प्रकार के वित्तीय लाभ/पद लाभ की माग नहीं करेंगे।
6. राज्य हित में उक्त स्वीकृती को कभी भी निरस्त किया जा सकेगा।
7. यदि आपका चयन उक्त पद पर हो जाता है तो विभाग में इनका लियन नहीं रहेगा।
8. चयन होने पर नियमानुसार त्याग-पत्र स्वीकार करा कर कार्यमुक्त हो कर चयनित पद पर कार्यग्रहण करना होगा।

नोट : उक्त कार्मिक यदि संविदा/समेकित वेतन पर कार्यरत है तो यह आदेश लागू नहीं होगा।

  
(मुकुल शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें


राज0 जयपुर

दिनांक 20/05/19

क्रमांक - ई-18/एम/जोन-जोधपुर/2019/1130

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. मुख्य चिकित्सा एव स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही।
2. उप मुख्य चिकित्सा एव स्वास्थ्य अधिकारी(प.क.), सिरोही।
3. श्री विरेन्द्र नाथ, कनिष्ठ सहायक को सूचनार्थ।
4. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करे।
5. आदेश/रक्षित पत्रावली।

  
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें  
राज0 जयपुर